न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—137/2020 (2020/227) वाद पत्र

अनवान

1—अनोपकंवर पुत्री पाबुदान पत्नि दुल्हेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
2—सज्जनकंवर पुत्री पाबुदान पत्नि हिम्मतसिंह बड़वा नि.सगरेव हाल नि.बड़ी कड़ाई त.भिनाय
3—विमलाकंवर पुत्री पाबुदान पत्नि मदनसिंह बड़वा नि.सगरेव हाल नि. मोरवण तह. डुगला
4. कमलाकंवर पुत्री पाबुदान पत्नि शैतानसिंह बड़वा नि.सगरेव हाल नि.तिलोली तह. आसीन्द
5. शांताकंवर पुत्री पाबुदान पत्नि समुन्द्रसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
6. गीताकंवर पुत्री पाबुदान पत्नि रामसिंह बड़वा निवासी सगरेव हाल नि. गरोगला तह.सरवाड़

वादीगण

बनाम

1—मोहनसिंह पिता पाबुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कुलदीपसिंह पिता घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—रविन्द्रसिंह पिता घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—पुजा पुत्री घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लीलाकंवर पत्नि घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—राजु पिता हरिसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—कैलाश बेवा हरिसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—राधेश्याम पिता सोहनदास वैष्णव निवासी जगदीश तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—04.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरूष पाबुदान बड़वा थे जिनकी छः पुत्रीया प्रार्थीगण हुई तथा 3 पुत्र मोहनसिंह, हरिसिंह व घनश्यामसिंह हुए तथा एक पत्नि रूकमणकंवर थी जिसमें से हरिसिंह फोत हो गये जिसके 1 पुत्र राजुसिंह व पत्नि कैलाशकंवर है तथा घनश्यामसिंह भी फोत हो गये जिसके 2 पुत्र कुलदीपसिंह, रविन्द्रसिंह व पुत्री पुजा व पत्नि लीलाकंवर है। राजस्व ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में में प्रार्थीग[illegible]ायत 7 की पुश्तैनी, पैतृक एवं अविभाजित कृषि साबिक आराजी संख्या 556/3 [illegible] 7 [illegible]घा, आराजी संख्या 91/3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल [illegible] बीघा [illegible]स्वा भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 के पिता व विपक्षी संख्या 2 [illegible] 7 के दादाजी व ससु[illegible]बुदान पिता हस्तीमल बड़वा निवासी सगरेव के नाम दर्ज रेकार्ड [illegible] तहसील रायपुर क[illegible] बन्दोबस्त हुआ जिसमें ग्राम सगरेव का भी नवीन सेटलमेंट किया गया, जिसमें उक्त साबिक आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

556 / 3 रकवा 7 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 1405 रकबा 0.89 हैक्ट, आराजी संख्या 1410 रकबा 0.62 हैक्ट, तथा साबिक आराजी संख्या 91 / 3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर 207 रकबा 0.45 हैक्ट भूमि कायम कर उक्त तीनों नवीन नम्बरों का एक ही खाता कायम कर दिया गया तथा उक्त आराजी वादीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वज पाबुदान पिता हस्तीमलजी बड़वा के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी। सन् 2006 में प्रार्थीगण के पिता पाबुदानजी की निर्वसीयत मृत्यु हो गई, उसके पश्चात् उक्त वर्णित आराजियात का विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 286 दिनांक 10.01.2007 दर्ज कर फैसल किया गया। जिसमें केवल मात्र तीन पुत्र मोहनसिंह, घनश्यामसिंह व हरिसिंह के वारिस व पत्नी रूकमणकंवर के नाम दर्ज कर नामान्तरणकरण फैसल कर दिया गया, जबकि हम प्रार्थीगण भी मृतक खातेदार पाबुदानजी की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। उसके बावजुद उक्त नामान्तरणकरण दर्ज करते समय हमें किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही वारिसों की जांच ही की गई और प्रार्थीगण के पीठ पीछे व छुपे तौर पर राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ करके विपक्षीगण ने उक्त नामान्तरणकरण संख्या 286 दर्ज कर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा फैसल कर दिया गया, जिससे उक्त नामान्तरणकरण विधि के विपरीत होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही शून्य होकर अब एन एशियो वोइड हैं और निरस्त होने योग्य हैं। उक्त नामान्तरणकरण संख्या 286 दिनांक 10.01.2007 विधि के विपरीत हैं, और ऐसे नामान्तरणकरण के आधार पर विपक्षीगण को कोई कानूनी हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसे नामान्तरणकरण की विधि की नजर में कोई अहमियत नहीं हैं। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हम प्रार्थीगण का भी विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 के साथ–साथ व रूकमण देवी के साथ उक्त वर्णित पुश्तैनी एवं पैतृक भूमियों में हक एवं हिस्सा निहित हैं। जिसकी हम प्रार्थीगण घोषणा करवाने की अधिकारिणी हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 267 रकबा 0.45 हैक्ट. आराजी संख्या 1405 रकवा 0.89 हैक्ट, आराजी संख्या 1410 रकबा 0.62 हैक्ट, कुल किता 03 कुल रकबा 1.96 हैक्ट भूमि में मृतक खातेदार पाबुदानजी के छः पुत्रियां व तीन पुत्र व एक पत्नी यानि कुल दस प्रथम श्रेणी के वारिस होने से हम प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1 / 10–1 / 10 हिस्सा व संयुक्त रूप से 6 / 10 हिस्सा निहित हैं। तथा विपक्षी संख्या 01 मोहनसिंह का 1 / 10 हिस्सा, तथा विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 का संयुक्त रूप से 1 / 10 हिस्सा किन्तु रूकमणदेवी के द्वारा उसका सम्पूर्ण हिस्सा इनके पक्ष में त्याग कर देने से 2 / 10 हिस्सा संयुक्त रूप से निहित हैं। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 06 व 07 का संयुक्त रूप से 1 / 10 हिस्सा निहित हैं तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण मौके पर काबिज भी हैं और काश्त करते चले आ रहे हैं, इसलिये प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों में हमारा संयुक्त रूप से 6 / 10 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है और खाते [illegible] त होने योग्य है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में भी अपने नाम भूमियां दर्ज करवाने की अधि[illegible]णी है। उक्त नामान्तरणकरण संख्या 286 दिनांक 10.01.2007 विधि के विपरीत दर्ज कर [illegible], [illegible]सिंह व हरिसिंह के वारिस व रूकमणकंवर के नाम गैर कानूनी तरीके से व ग़लत [illegible]प से दर्ज कर देने से इसका नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी मोहनसिंह ने उसका गलत 1 / 4 हिस्सा बताकर आराजी संख्या 1405 व 1410 कुल किता 02 कुल रकबा 1.51 हैक्ट भूमि में उसके हिस्से की भूमियों को नुमाईशी तौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

पर विपक्षी संख्या 08 को विक्रय कर उसका विक्रय पत्र दिनांक 27.08.2020 को निष्पादित कर उसका पंजियन भी करवा दिया, जबकि विपक्षी संख्या 01 का उक्त वर्णित भूमियों में केवल मात्र 1/10 वां हिस्सा हैं। और विपक्षी संख्या 01 को अपने हिस्से की भूमियों से अधिक भूमि विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। जिससे ऐसा विक्रय पत्र दिनांक 27.08.2020 हम प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही नल एण्ड वोयड हैं। ऐसा विक्रय पत्र हम प्रार्थीगण पर किसी प्रकार कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित भूमियों के 6/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित भूमियां विपक्षी संख्या 01 व घनश्यामसिंह के फौत हो जाने से विपक्षी संख्या 05 व विपक्षी संख्या 06 व 07 के नाम विरासतन दर्ज हो जाने से गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। इसका नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी मोहनसिंह ने भूमियों को अपना अधिक हिस्सा बताकर विपक्षी संख्या 08 को नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर देने से विपक्षीगण संयुक्त रूप से मिलकर हम प्रार्थीगण को हमारे हक एवं हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकियां देने लग गये और दिनांक 25.09.2020 को प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम भूमियां हमारे नाम पर दर्ज हैं और हम इनको खुर्द बुर्द करेंगे और तुम्हें तुम्हारे जायज हकों से महरूम करेंगे। और भूमियों पर आ गई तो तुम्हें जीवित नहीं जाने देंगे। जिससे विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना भी नितान्त आवश्यक हो गया हैं। उक्त वर्णित भूमियों के साथ—साथ वादीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी भूमियों ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में और में भी स्थित थी, जिसके नवीन आराजी संख्या 482, 483, 484. 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 कुल किता 12 कुल रकबा 2.25 हैक्ट. भूमि में भी प्रार्थीगण के पिता पाबुदान पिता हस्तीमलजी की मृत्यु हो जाने से नामान्तरणकरण संख्या 1352 दिनांक 20.10.2016 फैसल किया गया, उसमें हम प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया है, जिससे इन आराजियात के संबंध में कोई दाद नहीं चाहते हैं, किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र के साथ बतौर साक्ष्य इसकी जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत कर रहे है। जिसमें प्रार्थीगण मृतक, पाबुदानजी की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस होना साफ जाहिर हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है वादवग्रस्त आराजियात से अगर विपक्षीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें या भूमियो को खुर्द बुर्द करे देगें तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन नकदी में नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण को निहित हक व हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी [illegible] स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण [illegible] बेदखल नही करे तथा न किसी अन्य से करावे तथा भूमियों को विक्रय, [illegible] तरीके से हस्तान्तरित नही करें व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता फारूख

मोहम्मद के द्वारा अधिकार पत्र पेश किया एवं विपक्षी संख्या 2 से 8 तक बावजुद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया विपक्षी संख्या 9 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तनी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से अगर विपक्षीगण के द्वारा भूमि खुर्द बुर्द कर दी गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रकरण में वर्णित भूमि पाबुदान पिता हस्तीमल की खातेदारी भूमि है और प्रार्थीगण मृतक खातेदार पाबुदानजी की पुत्रीयां है जिसमें प्रार्थीगण का 6/10 हिस्सा निहित है किन्तु पाबुदानजी की विरासत के नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 10.01.2007 स्वीकृत किया गया जिसमें प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण के नाम भूमि दर्ज रकार्ड होने से अगर विपक्षीगण द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द कर दी गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है उपरोक्त तीनो बिन्दुओ को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 8 के इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव की नवीन आराजी संख्या 267 रकबा 0.45 हैक्ट. आराजी संख्या 1405 रकवा 0.89 हैक्ट, आराजी संख्या 1410 रकबा 0.62 हैक्ट, कुल किता 03 कुल रकबा 1.96 हैक्ट भूमि में निहित प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को भूमियों से बेदखल नही करे तथा न किसी अन्य से करावे तथा भूमियों को विक्रय, रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करें व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

04/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला पाली (राज.)